न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 63/2021

शीर्षक

सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी भीखावाला, तन मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र–व्यस्क जाति जाट निवासी भीखावाला, तन मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0 न0 6819/2 रकबा 0.23, 6819/3 रकबा 0.21, 6820/2 रकबा 0.24, 6820/3 रकबा 0.20 कुल किता 4 रकबा 0.88 है0 वाकै ग्राम भीखावाला पटवार हल्का उदावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0–1 राजेन्द्र कुमार का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
2. वर्णित आराजी को वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज रहकर काश्त करते रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है।
3. दिनांक 10.07.2021 को वादी वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित अपने हक हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था तब प्रतिवादी सं0–1 आया और वह वादी को कृषि कार्य करने से रोकने कीक ही तब वादी ने प्रतिवादी सं0–1 को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने को कहां तो उसने वादी को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा वादी को भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी दी है।
4. यदि प्रतिवादी सं0–1 अपने मन्सूबे में सफल हो गया और उसने वादी को उसके हक हिस्से की भूमि में कृषि कार्य करने से रोक देगा तो इससे वादी के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कराने के लिए माननीय न्यायलय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।
5. अन्त में निवेदन किया कि उक्त वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जाकर आराजी ख0 न0 6819/2 रकबा 0.23, 6819/3 रकबा 0.21, 6820/2 रकबा 0.24, 6820/3 रकबा 0.20 कुल किता 4 रकबा 0.88 है0 वाकै ग्राम भीखावाला पटवार हल्का उदावाला, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 के मध्य नियमानुसार बंटवारा किया जाकर उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ताकि वे वादी के बंटवारे में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधाकारित ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रति0स0–2 की ओर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिवक्ता व उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनाम पेश किया। वकील उम्यपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने राजीनाम अनुसार अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गयां प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है।

अतः दावा वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार अंतिम डिक्री किया है कि आ0ख0न0 6819/3 रकबा 0.21 से सम्पूर्ण तथा ख0न0 6820/2 रकबा 0.24 है0 में से ~~ब~~ तरफ पश्चिम दिशा की 0.23 से भूमि कुल 0.44 से भूमि वाकै ग्राम भीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर वादी के हिस्से में रहेगी तथा आ0ख0न0 आराजी ख0 न0 6819/2 रकबा 0.23, से भूमि सम्पूर्ण, आ0ख0न0 6820/3 रकबा 0.20 से सम्पूर्ण, ख0न0 6820/2 रकबा 0.24 है0 में से 0.01 से तरफ पूर्व दिशा की आराजी ख.न. 6819/2 के लगती हुई भूमि कुल 0.44 से भूमि वाकै ग्राम भीखावाला तह0शाहपुरा जयपुर प्रतिवादी सं0–1 के हिस्से में रहेगी। राजीनाम निर्णय का जूज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है किवे राजीनामाअनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 2/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 63/2021

शीर्षक

सुरेश कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र–व्यस्क, जाति जाट, निवासी भीखावाला, तन मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कन्हैयालाल उम्र–व्यस्क जाति जाट निवासी भीखावाला, तन मनोहरपुर तह. शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 2/10/2021

अतः दावा वादी व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामानुसार अंतिम डिकी किया है कि आ0ख0न0 6819/3 रकबा 0.21 से सम्पूर्ण तथा ख0न0 6820/2 रकबा 0.24 है0 में से क्ष.तरफ. पश्चिम दिशा की 0.23 से भूमि कुल 0.44 से भूमि वाकै ग्राम भीखावाला तह0 शाहपुरा जयपुर वादी के हिस्से में रहेगी तथा आ0ख0न0 आराजी ख0 न0 6819/2 रकबा 0.23, से भूमि सम्पूर्ण, आ0ख0न0 6820/3 रकबा 0.20 से सम्पूर्ण, ख0न0 6820/2 रकबा 0.24 है0 में से 0.01 है. क्ष.तरफ. पूर्व दिशा की आराजी ख.न. 6819/2 के लगती हुई भूमि कुल 0.44 से भूमि वाकै ग्राम भीखावाला तह0शाहपुरा जयपुर प्रतिवादी सं0–1 के हिस्से में रहेगी। राजीनाम निर्णय का जूज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। वादी व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है किवे राजीनामाअनुसार एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

निर्णय आज तारीख 2/10/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	